मैसर्स होण्डाराम रामचंद्र

बनाम

जरिये यशवन्त महादेव कदम मृतक

दिसम्बर 12 2007

एसबी सिन्हा एवं हरजीत सिंह बेदी जेजे

औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947-धारा 25 एफएफएफ -उपक्रम का बंद होना-उच्च न्यायालय ने धारा 25 एफएफएफ के अनुसार मुआवजे के भुगतान का निर्देश देने के बजाय श्रमिकों की बहाली का निर्देश दिया - निर्धारित सही नहीं-श्रमिक केवल धारा 25 एफएफएफ के अनुसार मुआवजे के हकदार हैं न कि पिछली मजदूरी के साथ बहाली की राहत के।

वर्तमान अपील में विचार के लिए जो प्रश्न उठा वह यह है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25 एफएफएफ के अनुसार क्या अपीलकर्ता के बिक्री कार्यालय के बंद होने के बाद उच्च न्यायालय ने प्रतिवादीगण-श्रमिकों को शर्तों के अनुसार मुआवजें के भुगतान का निर्देश देने के बजाय उन्हे फिर से बहाल करने का निर्देश देकर गलती की है।

अपीलों का निस्तारण करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

1. उच्च न्यायालय ने राहत देने के उद्येश्य से अपीलकर्ता के परिसर से व्यवसाय बंद करने के तथ्य पर विचार न करके स्पष्ट रूप से एक त्रुटी

की है। यदि अपीलकर्ता का उपक्रम बंद कर दिया था तो श्रमिक केवल औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25 एफएफएफ के रेफरेंस मं मुआवजे के हकदार थे न कि पिछली मजदूरी के साथ बहाली की राहत के। उपर्युक्त तथ्य की स्थिति में पूर्ण बकाया वेतन के साथ बहाली का निर्देश देने वाला अवॉर्ड पारित करने का सवाल ही नहीं उठता था और न ही उठ सकता है। पैरा 12 और 13 476-ब-स

2. विचार हेतु दो प्रश्न उठते है पहला क्या बंद वर्ष 1983 या 1991 में प्रभावित हुआ था और दूसरा क्या मुआवजे की राशि की गणना इस तरह की जानी चाहिए जैसे कि अपीलकर्ता की स्थापना 1983 या 1991 मं बंद हुई थी जैसा भी मामला हो या क्या श्रमिक कुछ अन्य राहतों के हकदार हैं। यदि श्रम न्यायालय जहां अधिनियम की धारा 33 सी&2 के तहत प्रतिवादीगण का आवेदन लम्बित हैं को उपरोक्त प्रश्नांे को निर्धारित करने के लिए निर्देशित किया जाए तो न्याय के हित में मदद मिलेगी क्योंकि उक्त अदालत उक्त प्रश्नों को अधिक प्रभावी ढंग से निर्धारित कर सकती है। पैरा 14 व 16 476-एफ 477 अ-ब

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः 2007 की सिविल अपील संख्या 5834-5835

1997 की रिट याचिका संख्या 1693 में 1999 की अपील संख्या 1340 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय व आदेश दिनांक

11.01.2000 से।

संलग्न

2007 की सी.ए. संख्या 5840-5841

शेखर नफाड़े शिवाजी, एम जाधव, हिमांशु गुप्ता, बृज किशोर शाह और राहुल जोशी - अपीलकर्ता की ओर से।

के शारदा देवी - प्रतिवादीगण की ओर से।

एस.बी. सिन्हा, जे. के द्वारा न्यायालय का फैसला सुनाया गया।

1. विलंब क्षमा किया गया।

2. अनुमति प्रदान की।

3. इस न्यायालय द्वारा एक सीमित नोटिस जारी किया गया था कि क्या उच्च न्यायालय औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25 एफएफएफ के तहत मुआवजे के भुगतान का निर्देश देने के बजाय प्रतिवादीगण-श्रमिकों की बहाली का निर्देश देने में सही था।

4. अपीलकर्ता का मुलजी जेठा क्लॉथ मार्केट मुम्बई में बिक्री कार्यालय था। प्रतिवादीगण-श्रमिक वहां कार्यरत थे। उक्त दुकान बंद थी। दुकान बंद होने का तथ्य विवाद में नहीं है। विवादित बात यह है कि क्या यह ऐसा वर्ष 1983 या 1991 में किया गया था। उक्त दुकान बंद होने पर प्रतिवादीगण को गोरेगांव स्थित एक कारखाने में काम करने के लिए स्थानान्तरित कर दिया गया था जो प्रतिवादीगण से संबंधित नहीं थी।

अपीलकर्ता के विरूद्ध वेतन भुगतान के लिए विहित प्राधिकारी के समक्ष आवेदन दायर किया गया था। उक्त आवेदन अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि प्रतिवादीगण ने स्थानान्तरित स्थान पर अपने कृतव्यांे में शामिल होने से इंकार कर दिया था। कथित तौर पर अप्रेल 1984 में एक घरेलू जांच आयोजित की गई थी इस आधार पर कि प्रतिवादीगण ने न तो गोरेगांव और न ही मुंबई में ड्यूटी के लिए रिपोर्ट की थी। प्रतिवादीगण की सेवाएं दिसम्बर 1985 में समाप्त कर दी गई। जनवरी 1986 में जिस परिसर में बिक्री कार्यालय चलाया जा रहा था उसे स्वीकारोक्तिपूर्वक किसी अन्य कंपनी को सौंप दिया गया था।

5. प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व बकाया वेतन के साथ-साथ सेवाओं में निरंतरता के साथ उनकी बहाली की मांग करते हुए एक औद्योगिक विवाद उठाया गया था। उपयुक्त सरकार द्वारा एक रेफरेंस दिया गया था।

6. एक प्रारंभिक मुद्दा उठाया गया था कि क्या उक्त रेफरेंस में प्रतिवादीगण के खिलाफ की गई घरेलू जांच निष्पक्ष और उचित थी। दिनांक 05.12.1996 के एक आदेश द्वारा उक्त प्रारंभिक मुद्दे का निर्णय नियोक्ता के पक्ष में और श्रमिकों के विरूद्ध किया गया था। इसके बाद रेफरेंस में पक्षकारों ने औद्योगिक न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए।

7. दिनांक 31.07.1996 के एक फैसले के द्वारा श्रम न्यायालय मुंबई

के पीठासीन अधिकारी ने माना कि प्रतिवादीगण की सेवाओं की समाप्ति उचित और वैध थी और इस प्रकार वे किसी भी राहत के हकदार नहीं थे। उक्त अवॉर्ड की सत्यता पर सवाल उठाते हुए श्रमिकों ने रिट आवेदन दायर किए। बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने उक्त रिट याचिकाओं को 1997 के डब्लू.पी.नंबर 1693 और 1997 के डब्लू.पी.नंबर 1691 को एक निर्णय और आदेश दिनांक 30.08.1999 द्वारा दोनों अवॉर्ड को रद्द करते हुए अनुमति दी-

"मुझे प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से दिए गए तर्क में कोई गुण नहीं दिखता। सबसे पहले जैसा कि यहां उपर कहा गया है ऐसा यहां कुछ दर्शाया गया नहीं है कि एक उचित घरेलू जांच की गई है। दूसरा स्थानान्तरण सेवा शर्त का गठन करता हो यह इंगित करने के लिए रिकॉर्ड में कोई साक्ष्य नहीं है। तीसरा रिकॉर्ड पर साक्ष्य स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि खन्ना टेक्सटाईल उद्योग प्रतिवादी संख्या 01 की तुलना में एक अलग कानूनी इकाई थी और इन परिस्थितियों में श्रमिक को अलग कानूनी इकाई में शामिल होने के लिए नहीं कहा जा सकता है। मेरे द्वारा सम्पूर्ण रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि जांच अधिकारी के निष्कर्षों को आरोपपत्रित कर्मचारी को भेज दिया गया था। रिकॉर्ड पर निष्कर्षों से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को कानून के अनुसार उसकी सेवाएं समाप्त किए बिना और औद्योगिक विवाद

अधिनियम 1947 की धारा 25-एफ के तहत मुआवजे का भुगतान किए बिना एक अलग कानूनी इकाई के लिए काम करने के लिए कहा गया था। उसे ग्रेच्युटी का भी भुगतान नहीं किया गया था। जिस अवधि में जांच चल रही थी उस अवधि में उसे मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया था। उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए श्रम न्यायालय ने रेफरेंस को खारिज करने में गलती की।

8. इसके अलावा एक इंट्रा कोर्ट अपील को प्राथमिकता दी गई थी जिसमें अन्य बातों के अलावा अपीलकर्ता द्वारा एक विवाद उठाया गया था कि अपीलकर्ता का बिक्री कार्यालय बंद कर दिया गया था बहाली का कोई अवॉर्ड पारित नहीं किया जा सकता था। उक्त अपील को उच्च न्यायालय की एक खण्ठ पीठ ने दिनांक 11.01.2000 के आक्षेपित निर्णय के आधार पर खारिज कर दिया था।

दिनांक 17.01.2023 के एक आदेश द्वारा उसके विरूद्ध प्रस्तुत एक समीक्षा आवेदन को भी खारिज कर दिया गया है।

9. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शेखर नफाड़े ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता का बिक्री कार्यालय बंद था औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25 एफएफएफ के तहत श्रमिक केवल देय मुआवजे की राशि के हकदार थे न कि बकाया वेतन के साथ बहाली की राहत के।

यह आग्रह किया गया कि निर्णय में विद्वान एकल न्यायाधीश ने भी ध्यान दियाः-

श्री खन्ना ने आगे गवाही दी है कि उन्होने बिक्री कार्यालय को बेच दिया है। श्री खन्ना के साक्ष्य स्पष्ट रूप से इंगित करते है कि खन्ना टेक्सटाईल उद्योग एक अलग कानूनी इकाई थी जिसमें श्रमिक को स्थानान्तरित करेन की मांग की गई थी।

हमारा ध्यान अपीलकर्ता की ओर से दायर जवाब दावा की ओर भी आकर्षित हुआ जिसमें कहा गया था-

‘‘दुकान और गोरेगांव कारखाने के बीच कोई संबंध नहीं है। आज से 3-4 वर्ष पूर्व मेरे उक्त कार्यस्थल को कंपनी द्वारा बेच दिया गया था तथा बिक्री से पूर्व कार्यस्थल को नियोक्ता द्वारा लगभग 10 वर्षों के करीब छुट्टी एवं लाईसेंस पर तीसरे पक्ष को दे दिया गया था।

हमारे संज्ञान में यह भी लाया गया कि उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के समक्ष निम्नलिखित तर्क उठाए गए थे जैसा कि अपील के ज्ञापन से पता चलता है

‘‘यह कि विद्वान एकल न्यायाधीश की ओर से ध्यान देते हुए कि ऐसा साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं है जो दर्शाता हो कि स्थानान्तरण सेवा शर्त का गठन करता है तथा खन्ना डाइंग यहां अपीलकर्ता के रूप में एक अलग कानूनी इकाई थी में पूर्ण वैचारिक उपयोग नहीं किया गया। यदि विद्वान

एकल न्यायाधीश ने इस तथ्य की सराहना की थी कि प्रथम प्रतिवादी को गोरेगांव कारखाने में फिर से काम शुरू करने के लिए कहना बिक्री कार्यालय बंद होने के कारण वैकल्पिक रोजगार के रूप में पेशकश थी जहां वह पहले कार्यरत था। उसे इस निष्कर्ष पर पहंुचना चाहिए था कि अपीलकर्ता की ओर से कार्यवाही सद्भावनापूर्ण थी तथा प्रतिवादी के रोजगार को सुरक्षित करने के इरादे से थी एवं अपीलकर्ता को अपने कर्तव्यांे में शामिल नहीं होने के कारण प्रथम प्रतिवादी की सेवा समाप्त करने के लिए बाध्य किया गया था।

10. अभिलेखों से ऐसा प्रतीत होता है कि समीक्षा याचिका में निम्नलिखित विवाद भी उठाया गया था-

‘‘याचिकाकर्ता अत्यधिक सम्मानपूर्वक प्रस्तुत करता है कि यह तथ्य गलती से किया गया था खण्ड पीठ ने इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए इस तथ्य पर विचार ना करने में चूक कारित की है। यदि इस तथ्य पर विद्वान खण्ड पीठ और विद्वान एकल न्यायाधीश ने विचार किया होता और माना जाता कि प्रतिवादी का कार्य गैर-स्थानान्तरित है तो यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता कि याचिकाकर्ता कंपनी के साथ बहाली नहीं दी जाएगी। इसके अलावा पिछले वेतन का भुगतान भी नहीं दिया जाएगा। प्रतिवादी अधिक से अधिक समापन मुआवजे का हकदार था।

11. दूसरी ओर प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि

प्रतिवादीगण ने श्रम न्यायालय मुंबई के समक्ष औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 33 सी-2 के तहत एक आवेदन दायर किया है जो लंबित है। यह तर्क दिया गया कि प्रतिवादीगण अपनी बहाली के हकदार नहीं हो सकते हैं लेकिन वे निर्विवाद रूप से बहाली के बदले बकाया वेतन के हकदार होगें।

आगे यह प्रस्तुत किया गया कि इकाई का बंद होना केवल 1991 में प्रभावित हुआ था 1983 में नहीं।

12. अभिलेखों से ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता का बिक्री कार्यालय बंद कर दिया गया था। हमने पहले देखा है कि इस बात पर विवाद मौजूद है कि क्या उक्त समापन सभी इरादे और उद्येश्य के लिए 1983 या 1991 में किया गया था। उच्च न्यायालय ने राहत प्रदान करने के उद्येश्य से अपीलकर्ता के परिसर से व्यवसाय को बंद करने के तथ्य पर विचार न करके स्पष्ट रूप से एक त्रुटी की है। यदि अपीलकर्ता का उपक्रम बंद कर दिया गया था तो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25 एफएफएफ के तहत श्रमिक केवल मुआवजे के हकदार थे न कि पिछली मजदूरी के साथ बहाली राहत के।

13. उपर्युक्त तथ्य की स्थिति में पूर्ण बकाया वेतन के साथ बहाली का निर्देश देने वाला अवॉर्ड पारित करने का सवाल ही नहीं उठता था और न ही उठ सकता है। हालांकि स्थानान्तरण का कथित आदेश स्पष्ट रूप से

वैध नहीं था। इसके अतिरिक्त अपीलकर्ताओं ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध घरेलू जांच भी शुरू की। यह एक पक्षीय आयोजित किया गया था। उक्त घरेलू जांच में जांच अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट के आधार पर ही प्रतिवादीगण के सेवाएं समाप्त कर दी गई। इस स्तर पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10-1-सी के तहत प्रतिवादी द्वारा उठाए गए विवाद के निर्णय के लिए उपयुक्त सरकार द्वारा एक रेफरेंस दिया गया था।

14. हमारे विचारार्थ दो प्रश्न उठते है।

सबसे पहले क्या बंद का असर वर्ष 1983 या 1991 में हुआ था। दूसरा क्या मुआवजे की राशि की गणना इस तरह की जानी चाहित जैसे कि अपीलकर्ता की स्थापना 1983 या 1991 में बंद हो गई थी जैसा भी मामला हो अथवा क्या श्रमिक कुछ अन्य राहत के हकदार है।

15. आमतौर पर हम उक्त प्रश्नों को निर्धारित करने के लिए मामले पर नए सिरे से विचार करने के लिए मामले को उच्च न्यायालय में वापस भेज देते हैं। हालांकि हमारा ध्यान रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य की ओर आकर्षित किया गया है लेकिन हमारे लिए इस सवाल के संबंध में एक या दूसरी राय पर पहूंचना मुश्किल है कि अपीलकर्ता की स्थापना कब बंद की गई थी। उपर्युक्त आधार पर हमारे लिए श्रमिकों की सेवा समाप्ति के प्रभाव को निर्धारित करना भी संभव नहीं है।

16. इसलिए हमारी राय है कि यदि श्रम न्यायालय जहां औद्योगिक

विवाद अधिनियम 1947 की धारा 33 सी-2 के तहत प्रतिवादीगण का आवेदन लंबित है उपर्युक्त प्रश्नांे को निर्धारित करने के निर्देश दिए जाने चाहिए क्याेंकि उक्त न्यायालय उक्त प्रश्नाेंं को अधिक प्रभावी ढंग से निर्धारित कर सकता है तो न्याय के हित की रक्षा होगी। उक्त उद्येश्य के लिए श्रम न्यायालय पक्षों को नए साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देगा। हम श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से यथाशीघ्र निर्णय पारित करने का अनुरोध करेगें।

17. हालांकि हम निर्देश देते है कि अपीलकर्ता इस बीच मुकदमे के खर्च के रूप में इस निर्णय की प्राप्ति की तारीख से चार सप्ताह के भीतर संबंधित प्रत्येक श्रमिक को 25000 रुपये का भुगतान करेगा। उक्त राशि संबंधित श्रम न्यायालय के समक्ष भी जमा की जा सकती है।

18. उपर्युक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ इस अपील का फैसला किया जाता है। कोई लागत नहीं।

बी.बी.बी. अपीले निस्तारित।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी किशन लाल चौधरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्येश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्येश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्यैश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।